

Before our very eyes, the slogan of 'Make in India', by this closure, has become 'destroying India.'

Now, that some opportunities are coming forth for reviving the factory, I request that the Government should ensure that all the workforce which has to leave Nokia may be taken back. The Government should also pave the way for an early revival of the factory. Thank you, Sir.

SHRI P. RAJEEVE (Kerala): Sir, I would like to associate myself with the point made by the hon. Member.

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal): Sir, I would like to associate myself with the point made by the hon. Member.

DR. K.P. RAMALINGAM (Tamil Nadu): Sir, I would like to associate myself with the point made by the hon. Member.

SHRIMATI KANIMOZHI (Tamil Nadu): Sir, I would like to associate myself with the point made by the hon. Member.

SHRI RITABRATA BANERJEE (West Bengal): Sir, I would like to associate myself with the point made by the hon. Member.

SHRI C.P. NARAYANAN (Kerala): Sir, I would like to associate myself with the point made by the hon. Member.

SHRI S. THANGAVELU (Tamil Nadu): Sir, I would like to associate myself with the point made by the hon. Member.

Naxalite attack on CRPF camp in Chhattisgarh and disrespect shown to the dead bodies and their belongings

श्री प्रमोद तिवारी (उत्तर प्रदेश) : हमें अपने देश पर गर्व है कि यहां शहादत का एक अभूतपूर्व और एक लम्बा सिलसिला रहा है। देश के लिए मर मिटने वालों की वजह से इस देश का मान और सम्मान सारी दुनिया में रहा है। पिछले छः महीने से जब से NDA की सरकार आई है, देश के हर हिस्से में आतंकवाद और नक्सलवाद की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। हमारे बहादुर जवान उनसे लोहा लेते आ रहे हैं। मैं बहुत दुख, वेदना और पीड़ा के साथ यह कहना चाहता हूँ कि एक दिसम्बर को जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में चिंता और सुकमा क्षेत्र में नक्सलवादियों ने बर्बता, निर्दयता के साथ हमारे CRPF के 14 जवानों को मार गिराया, यह इस सरकार की कमजोर और लचर नीतियों की वजह से हुआ है। यह हमेशा आतंकवादी और नक्सलियों के सामने * के रूप में जानी जाएगी।

मान्यवर, दुखद बात तो यह है कि हमारे 14 जवान मारे गए, जिनमें एक डिप्टी कमांडेंट भी

* Expunged as ordered by the Chair.

है और एक कमांडेंट भी है। लेकिन उससे ज्यादा शर्मनाक और चिंता का विषय यह है कि जिन शहीदों ने हमारी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया, उनमें मुकेश कुमार का शव उनके घर पार्सल वैन में भेजा गया और सारनाथ एक्सप्रेस से भेजा गया। मान्यवर, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। यही नहीं, मेरे ख्याल से उस दिन इन शहीदों के बलिदान की कितनी पीड़ा देश ने झेली होगी, जब इनकी जान गई और इनका पार्थिव शरीर देखा, लेकिन उससे ज्यादा पीड़ा इस सरकार की वजह से हुई और हमारा सिर * से झुक गया, जब हमने देखा कि जिस वर्दी को पहनकर, जिस कैप को लगाकर, जिस पेट्टी को लगाकर उन्होंने हमारी रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी उस वर्दी और पेट्टी को इस सरकार के कार्यकाल में कूड़ेदान में फेंक दिया गया। वह कूड़ेदान में रखी गई। मान्यवर, जिसे वीरोचित सम्मान मिलना चाहिए, उसे कूड़ेदान में फेंक कर इस सरकार ने हमारी याद ताजा कर दी कि कारगिल में जो * हुआ था, आज उनकी सरकार सामने है। ये न शहीदों का मान करते हैं और न शहीदों की वर्दी का मान करते हैं।

मान्यवर, इस मुद्दे को उठाने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि इस सरकार को कड़ा संदेश दिया जाए, आपकी पीठ से सरकार को कड़ा निर्देश दिया जाए कि जो जवान शहीद हो, उसे शहीद का दर्जा मिले, उनके परिवारजनों को कम से कम 1 करोड़ रुपये मिलें, उनके परिवारजनों को नौकरी मिले और इसके साथ-साथ आप इस बात का भी कड़ा संदेश दें कि भविष्य में जवानों का ससम्मान अंतिम संस्कार किया जाए और उनकी वर्दी को भी वही सम्मान मिलना चाहिए, जो एक शहीद की वर्दी को मिलना चाहिए। ...**(व्यवधान)**... इस तरह * को कड़ा संदेश जाना चाहिए ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Names of all the Members, who associate, may be added, including Shri Motilal Vora. Now, Dr. Sanjay Sinh ...**(Interruptions)**... आपका नाम ऐड कर दिया है ...**(व्यवधान)**...

SHRI BHUPINDER SINGH (Odisha): Sir, I associate myself with the matter raised by Shri Pramod Tiwari.

SHRI ISHWARLAL SHANKARLAL JAIN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Pramod Tiwari.

SHRI MOTILAL VORA (Chhattisgarh): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Pramod Tiwari.

SHRI JAIRAM RAMESH (Andhra Pradesh): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Pramod Tiwari.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (Telangana): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Pramod Tiwari.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Pramod Tiwari.

* Expunged as ordered by the Chair.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY (Gujarat): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Pramod Tiwari.

DR. BHALCHANDRA MUNGEKAR (Nominated): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Pramod Tiwari.

SHRI SHANTARAM NAIK (Goa): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Pramod Tiwari.

SHRI V. HANUMANTHA RAO (Telangana): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Pramod Tiwari.

SHRI RITABRATA BANERJEE (West Bengal): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Pramod Tiwari.

SHRI MUKUT MITHI (Arunachal Pradesh): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Pramod Tiwari.

SHRIMATI WANSUK SYIEM (Meghalaya): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Pramod Tiwari.

श्री मोती लाल वोरा (छत्तीसगढ़) : उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करता हूँ ।

श्री राम नाथ ठाकुर (बिहार) : उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करता हूँ ।

श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह (बिहार) : उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करता हूँ ।

श्रीमती कहकशां परवीन (बिहार) : उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करती हूँ ।

श्री हुसैन दलवाई (महाराष्ट्र) : उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करता हूँ ।

श्री पी.एल. पुनिया (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करता हूँ ।

श्री परेवज़ हाशमी (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) : उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करता हूँ ।

डा. विजयलक्ष्मी साधौ (मध्य प्रदेश) : उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करती हूँ ।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : उपसभापति जी, उनके शव पार्सल में भेजे गए ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, the Minister is going to react. मंत्री महोदय बोलिए ।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : उपसभापति जी, माननीय सदस्य श्री प्रमोद तिवारी जी ने जो पीड़ा व्यक्त की है, हम सभी उसके साथ हैं । ...(व्यवधान)... एक मिनट जरा शांत होकर बैठ जाइए ...(व्यवधान)... उपसभापति जी, सेना के जवान नैक्सलाइट्स के हाथों मारे जाते हैं या देश की सरहद पर मारे जाते हैं । जैसे ही यह घटना हुई, माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने मुख्यमंत्री से बात की, उन्होंने मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी के ऑर्डर दिये हैं और रिस्पॉसिबिलिटी फिक्स करने की बात भी हो रही है, लेकिन यह जो आरोप लगाया गया कि

हमारी सरकार सेना के मरे हुए सैनिकों का सम्मान नहीं करती ...(व्यवधान)... आप जानते हैं कि हमारी सरकार ने शुरू से ही ...(व्यवधान)...

श्री पी.एल. पुनिया : उनकी वर्दी कूड़ेदान में फेंकी गई है ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please listen. The Minister is reacting.

श्री रवि शंकर प्रसाद : सर, यह गलत है ...(व्यवधान)... मैं इसका प्रतिकार ...(व्यवधान)... करता हूँ ...(व्यवधान)... हमारी सरकार शहीदों का पूरा सम्मान करती है ...(व्यवधान)... हम आपसे यह कहना चाहते हैं ...(व्यवधान)... यह सब रिकॉर्ड में जाएगा । ...(व्यवधान)...

श्री प्रमोद तिवारी : मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि उनके शव पार्सल में भेजे गए और उनकी वर्दी को कूड़ेदान में फेंका गया ...(व्यवधान)... शहीदों की वर्दी को कूड़ेदान में डाला गया ...(व्यवधान)... शहीदों की वर्दी को कूड़ेदान में डाला गया ...(व्यवधान)... उस पर मंत्री जी को माफ़ी मांगनी चाहिए । ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Pramod Tiwari, please sit down. It is not going on record.

SHRI PRAMOD TIWARI: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Dr. Sanjay Sinh ...(Interruptions)... No, nothing more; Dr. Sanjay Sinh only. ...(Interruptions)...

Irregularities in the payment of wages to the job card holders in MGNREGA

डा. संजय सिंह (असम) : माननीय उपसभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । दुनिया के सबसे बड़े कल्याणकारी कार्यक्रमों में से एक, जिसको हम "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना" कहते हैं, यह अधिनियम 2005 में बना था और मुझे ...(व्यवधान)...

SHRI MOTILAL VORA (Chhattisgarh): Sir, I also raised this issue. I want to say something.

श्री उपसभापति : वोरा जी, आप बैठिए, यह रिकॉर्ड में नहीं आएगा ।

श्री मोती लाल वोरा : *

श्री उपसभापति : यह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए बोलने का कोई फायदा नहीं है । मैं क्या करूँ? आप बैठिए ।

डा. संजय सिंह : मान्यवर, मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि इस अधिनियम के जो उद्देश्य हैं, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है और तमाम सारे, लाखों-लाख मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है । उस अधिनियम के तहत सारे मजदूर, जिनके पास जॉब कार्ड हैं, उन्हें सौ दिन कार्य करने का अवसर मिलता है और पंद्रह दिन के अंदर उनका सारा भुगतान होना चाहिए । यह बात अधिनियम

* Not recorded.